न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 61/2022 जिला सीकर

1. पालाराम पुत्र चौथू
2. गिरधारीलाल पुत्र चौथू
3. कमला देवी पुत्री चौथू
4. बोदी देवी पुत्र चाथू
5. मुरली देवी पुत्री चौथू
6. सूर्यनारायण पुत्र चौथू

निवासीगण–ढाणी जोशियावाली, ग्राम श्रीमाधोपुर पटवार हल्का श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
2. तहसीलदार, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर दिनांक 26.08.2021

उपस्थित–

1. श्री रविकान्त शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2

निर्णय

दिनांक –21.09.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 26.08.2021 के खिलाफ प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रा.पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 28.04.2022 को प्रस्तुत हुई है ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत दिनांक 17.08.2021 द्वारा ग्राम श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 2225/6, 2223/1, 2222, 2221, 2304, 2310, 2314, 2313, 2312, 2305, 2307, 2308, 2315, 2316 में से रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के प्रस्ताव मय नक्शा भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.08. 2016 की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर के दिनांक 17.08.2021 के द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा प्राप्त हुआ। उपखण्ड अधिकरी श्रीमाधोपुर द्वारा दिये गये निर्देश की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने को आदेश दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.08.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर दिनांक 26.08.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये लिखित बहस प्रस्तुत कर मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि विवादित खसरों में जा रहे ढाणी साध्यावाली से

Scanned by CamScanner

नवोदा व जोशियावाली से होता भोजलाई तक चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में अभिशंषा उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर को की गई। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर ने दिनांक 26.08.2021 को बिना अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किये नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन कर उपरोक्त विवादित समस्त खसरों की कुछ भूमि के बाबत राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश कर दिये। उपखण्ड अधिकारी के समक्ष जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है उसमें पालाराम व अन्य अपीलार्थीगण के अंगूठा निशानी दिखाये गये हैं। जबकि उक्त प्रार्थना पत्र के कॉलम संख्या 3 में पालाराम पुत्र चौथूराम में अंगूठा निशानी चंदी देवी व सोनी देवी की है, ग्यारसी, तेजा के स्थान पर फूला के अंगूठा निशानी है तथा कमला के स्थान पर अंगूठा निशानी गुलाब देवी के है। देवी सहाय के स्थान पर अंगूठा निशानी संतोष देवी की है, कमला देवी के स्थान पर अंगूठा निशानी रूडी व अन्य लोगों के हैं। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा कहीं अंगूठा निशानी नहीं की गयी है। नजरी नक्शा बनाते समय तहसीलदार महोदय ने भी संबंधित अधिकारी ने घोर लापरवाही की है व अपीलान्ट के खेतों पर ना जाकर अपने कार्यालय में ही रिपोर्ट बना ली क्योंकि उस रिपोर्ट पर भी अपीलांट के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध जब तक कोई न्यायिक अथवा अर्द्ध न्यायिक आदेश पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे सुनवाई हेतु अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता। मौजूदा प्रकरण में अपीलान्टस की भूमि खसरा नम्बर ग्राम श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 2222 का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकॉर्ड में भूमि उनके नाम अंकित है, भूमि पर उसका कब्जा है तथा भूमि का उपयोग उपभोग करता है। उपरोक्त भूमि पर अपीलार्थीगण की फसल खडी हुई इसके बावजूद उक्त भूमि में रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये हैं। इसलिये अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। नक्शे में जो रास्ता दर्शाया गया है वहां मौके पर कभी कोई रास्ता नही रहा, ना ही मौके पर कायम है। आने जाने हेतु जो रास्ता बना हुआ था वो अन्य दूसरे खातेदारों के खसरा नम्बर के बीच में से था। ऐसी स्थिति में भी निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2021 को निरस्त किया जावे। अपीलार्थीण/प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.08.2021 की किसी प्रकार से कोई जानकारी नहीं थी। आदेश पारित होने के पश्चात जब उपरोक्त खसरा नम्बरान में निर्मित बाउण्ड्री तोडी जा रही थी तो अपीलार्थीगण ने उन्हें रोका तब उन्होने माननीय अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति दिखाई तब अपीलार्थीगण को उक्त आदेश दिनांक 26.08.2021 की जानकारी हुई। कोरोना महामारी सम्पूर्ण भारत में फैल रही थी और सम्पूर्ण भारत में लोकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई थी जिसके कारण काफी समय बीत गया तथा न्यायालय में समुचित रूप से काम काज नहीं चल रहा था। प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को उक्त आदेश की जानकारी प्राप्त हुई तुरंत प्रार्थीगण ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया और माननीय न्यायालय से आदेश की प्रमाणित प्रति निकलवायी और माननीय न्यायालय के समक्ष सुदृढ आधारों पर अपील प्रस्तुत कर दी। अतः न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किये जाने की कृपा करें। प्रार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित करते समय पक्षकार नहीं बनाया था। आलौच्य आदेश में अपीलार्थीगण की स्थावर सम्पत्ति एवं कृषि भूमि प्रश्नगत है। अपीलार्थीगण उक्त भूमि का प्रभावित एवं रिकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान करें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 2 के राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत दिनांक 17.08.2021 द्वारा ग्राम श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर उपरोक्त विवादित खसरों में से रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के प्रस्ताव मय नक्शा भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर के दिनांक 17.08.2021 के द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा प्राप्त हुआ। उपखण्ड अधिकरी श्रीमाधोपुर द्वारा

Scanned by CamScanner

आदेश दिनांक 26.08.2021 द्वारा दिये गये निर्देश की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने को आदेश दिये गये। उनका कहना है कि मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी उसे नकल दिनांक 12.04.2022 से प्राप्त होने पर बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सी.पी.सी. व धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्ताव दिनांक 17.08.2021 के अवलोकन से जाहिर होता है कि उपरोक्त अपीलार्थीगण मात्र खसरा नम्बर 2222 के ही रिकार्डेड खातेदार हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष जो प्रार्थना पत्र सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसमें पालाराम व अन्य अपीलार्थीगण के अंगूठा निशानी दिखाये गये हैं। जबकि उक्त प्रार्थना पत्र के कॉलम संख्या 3 में पालाराम पुत्र चौथूराम में अंगूठा निशानी चंदी देवी व सोनी देवी की है, ग्यारसी, तेजा के स्थान पर फूला के अंगूठा निशानी है तथा कमला के स्थान पर अंगूठा निशानी गुलाब देवी के है, देवी सहाय के स्थान पर अंगूठा निशानी संतोष देवी की है, कमला देवी के स्थान पर अंगूठा निशानी रूडी व अन्य लोगों के हैं। उक्त प्रार्थना पत्र सहमति पत्र पर अपीलान्ट द्वारा कहीं अंगूठा निशानी नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने ग्राम पंचायत का भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को सभी सबूतों एवं साक्ष्य का अवलोकन कर ही निर्णय पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू पर गौर किये बिना ही निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के स्तर पर अपीलकर्ता को सुनकर एवं मौके का निरीक्षण कर निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित है। उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलकर्ता की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमान्ड किये जाने योग्य है।

<u>अतः</u>—अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर का निर्णय दिनांक 26.08.2022 को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को रिमांड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलकर्ता को सुनकर एवं सभी दस्तावेजों का अवलोकन करके पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ.गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner